न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/118 दायरा दिनांक : 17.06.2025

उनवान

शोभा नागर पत्नी खेमराज नागर, जाति धाकड, निवासी हाल निवासी चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड हाल निवास गणेश नगर, बोरखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र अर्जुन सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम टिगरिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
2. दी स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 30.01.2026

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 65/2024 निर्णय दिनांक 30.04.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम टिगरिया, पटवार हल्का गुराडिया ईसर की जमाबंदी सं. 290 पुराना खाता सं. 267 की खसरा नं. 33 पाटी रकबा 0.9865 हेक्टर जोत का प्रार्थी खातेदार कृषक है। प्रार्थी के उक्त वर्णित जोत खसरा नं. 33 में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी नं. 1 की जोत खसरा नं. 43 माफी रकबा 1.6440 हेक्टर के पश्चिम दिशा के मेड पर होकर है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट कम 1 के खाते की आराजी खसरा नं. 33 के अलावा खसरा नं. 19/1 भी है तथा खसरा नं. 19/2 जिसकी खातेदार मंगू बाई पत्नी विक्रम सिंह है जो कि रेस्पोडेंट कम 1 के भाई की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विधवा है की कृषि आराजी है तथा खसरा नं. 17 भी रेस्पोडेंट कम 1 निकटतम रिश्तेदार है तथा रिश्ते में ताऊ लगता है की कृषि आराजी है, जिसके बिल्कुल करीब से पश्चिम दिशा में सिवायचक आराजी खसरा नं. 18 है तथा खसरा नं. 18 के उत्तर दिशा में खसरा नं. 14 एवं खसरा नं. 19/1 (रेस्पोडेंट नं.1) की भूमि के मध्य खसरा नं. 20 स्थित है जो कि सिवायचक आराजी है, इस प्रकार खसरा नं. 20, खसरा नं. 19/1 के बिल्कुल लगवा भूमि है तथा प्रार्थी की आराजी पर जाने के लिए निकटतम रास्ता है, जिससे कि रेस्पोडेंट कम 1 गत कई वर्षों से लगातार अपने खेत पर आता जाता है तथा कृषि यंत्र इत्यादि को लाता ले जाता है तथा उपरोक्त सिवायचक भूमि प्रचलित रास्ते के रूप में काम आ रही है, रेस्पोडेंट कम 1 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्बीट्रेटरी रूप से स्वीकार कर लिया, इस कारण से कन्सिलमेन्ट आफ फेक्ट के कारण आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तथा पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गयी उसमें भी हल्का पटवारी द्वारा इस तथ्य को छुपा लिया कि अपीलांट की आराजी खसरा नं. 43 जो कि खसरा नं. 42/1 के लगवा है के मध्य में बोरिंग लगा हुआ है तथा यदि उपरोक्त रास्ता चालू कर दिया गया तो अपीलांट की बोरिंग नष्ट हो जावेगी तथा अपीलांट आगामी कृषि वर्षों में खेती करने से महरूम हो जावेगा, हल्का पटवारी द्वारा बोरिंग के महत्वपूर्ण तथ्य को कहीं भी अंकित नहीं किया है इस कारण से आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। पटवारी द्वारा दिनांक 10.07.2024 को अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की थी तथा अपीलांट द्वारा अपना जवाब दिनांक 11.03.2025 को पेश किया था अर्थात अपीलांट के जवाब आने के पूर्व ही आई.एल.आर. द्वारा अपनी रिपोर्ट माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी थी जो कि प्रकिया का खुला उल्लंघन है तथा उस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी तथा रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जबकि राजस्व नियमों जो कि 251–ए सन्दर्भ में अभिलिखित है के नियम 69 के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई निरीक्षण पक्षकारान की उपस्थिति में किया जावेगा अर्थात रिपोर्ट पक्षकारान की मौजूदगी में बनानी चाहिए इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज किया गया है जिस कारण आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है। रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 में दो मार्ग सुझाए गये थे, जिसमें से रास्ता कम 1 की कुल लम्बाई चौडाई 3960 वर्गफुट है तथा रास्ता कम 2 की कुल लम्बाई चौडाई 10060 वर्गफुट है अर्थात रास्ता संख्या 1 कम लम्बाई का एवं सुगमता पूर्वक पहुंचने का मार्ग था, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.04.2025 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेंट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में 251–क का प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में रास्ता होना माना है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 में दो मार्ग बताये गये है। दिनांक 11.03.2025 को हमने जवाब पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट से भिन्न रास्ता कायम किया है। जिस जगह रास्ता कायम किया वहा हमारा बोरिंग है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह तथ्य छुपाया की खसरा नं. 19/1 भी प्रार्थी का है। खसरा नं. 20 व 18 सिवायचक है जिसका उपयोग प्रार्थी पूर्व से रास्ते के रूप में करता चला आ रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2025(2) पेज 1173, आर.आर.टी. 2025(2) पेज 1177, आर.आर.टी. 2025(1) पेज 476, 2025(1) CJ(Civ.)(Raj.) पेज 157 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम टिगरिया, पटवार हल्का गुराडिया ईसर, तहसील गंगधार में रेस्पोडेन्ट क्रम–1/प्रार्थी खसरा नम्बर–33 रकबा 0.9865 हैक्टेयर जोत का खातेदार है। प्रार्थी के उक्त वर्णित जोत खसरा नम्बर–33 में आने–जाने का रास्ता अप्रार्थी नं.–1 की जोत खसरा नं.–43 रकबा 1.6440 हैक्टेयर के पश्चिम दिशा की मेड पर होकर है। इस मार्ग को प्रार्थी विस्तारित करना चाहता है परन्तु अप्रार्थिया के द्वारा जानबूझ कर रास्ते को सकड़ा कर अवरूद्ध कर दिया है, सहमति से मामला तय नहीं हो रहा है एवं प्रार्थी को जोत में होकर पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है इसलिए खसरा नम्बर–43 में मार्ग की आवश्यकता है जो ग्राम टिगरिया से लूनाखेड़ा ग्रेवल सड़क खसरा नम्बर–108 से आकर अप्रार्थिया की जोत खसरा नम्बर–43 के पश्चिमी मेड पर होकर है। जिसका विधि अनुसार प्रार्थी प्रतिकर जमा करने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया और अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 के द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थिया के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा क्रम–3 में वैकल्पिक मार्ग बताया और जाहिर किया कि खसरा नम्बर–108 गैर मुमकिन रास्ता है, खसरा नम्बर–16/1 उर्मिला के नाम है, खसरा नम्बर–15 आनन्दी बाई के नाम है, खसरा नम्बर–18 नाकाबिल काश्त है, खसरा नम्बर–14 जसवन्त सिंह के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर–20 गैर मुमकिन है। उक्त मार्ग में होकर प्रार्थी के आने–जाने का यह सुगम मार्ग है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित मामले में तहसील से मौका रिपोर्ट मंगवायी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र सरकार के मुताबिक यह माना गया है कि प्रकरण में वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर–33 पर पहुंचने का मार्ग प्रचलन में नहीं है एवं रास्ता नम्बर–1 एवं रास्ता नम्बर–2 के बारे में विस्तृत विवरण सहित रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रास्ता नम्बर–1 जो रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा क्रम–3 में दर्शाया गया है एवं रास्ता नं.–2 जो प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है का व तहसील से प्राप्त रिपोर्ट का पूर्ण रूप से अवलोकन

(दीप्ति समुद्रगुप्त मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर एवं कानूनी प्रावधान रास्ते की आवश्यकता होना, वैकल्पिक रास्ता नहीं होना, सबसे लघुत्तम रास्ता होना व क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान इन समस्त तथ्यों पर विवेचन करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय जेर अपील पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि आई.एल.आर. द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 को बनाई है उसमें अपीलान्ट को नहीं सुना गया। यह तकनीकी बिन्दु अपील स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम–1 को अपनी जोत खसरा नम्बर–33 पर जाने के लिए खसरा नम्बर–43 की पश्चिम की ओर मेड पर होकर आने–जाने के लिए रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता जो जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा क्रम–3 में बताया गया है, इस वैकल्पिक मार्ग का भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त गंगधार की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2024 में, रास्ता कम 1 के रूप में स्पष्ट उल्लेख किया है और रास्ता क्रम 2, जो रेस्पोडेन्ट के द्वारा चाहा गया है, इसका उल्लेख रास्ता क्रम–2 के पैरा में किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा चाहे गये रास्ते एवं अपीलांट द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में है। विवादित मामले में तहसीलदार गंगधार की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.07.2024 व तहसीलदार के जवाब के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर–33 तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर–33 तक पहुंचने का सबसे लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर–43 की पश्चिम मेड (42/1 व 35 से लगवां) से होकर जाता है जिसकी लम्बाई करीब 875 फीट यानी 267 मीटर है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार गंगधार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट कम–1/प्रार्थी को अपनी जोत खसरा नम्बर–33 में आने–जाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.04.2025 के क्रियात्मक आदेश में वर्णित रास्ते के अलावा कोई रास्ता न होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 43 की भूमि में जो रास्ता दिया है वह 825 x 10 कुल 8250 वर्गफीट है जबकि जो रास्ता मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2024 में रास्ता नंबर–1 के मुताबिक बताया उसका क्षेत्रफल 3960 वर्ग फीट न होकर सही गणना के मुताबिक 32041 वर्गफीट है कानूनगों के द्वारा गणना करने में नाकाबिल काश्त भूमि के वर्गफुट की संख्या को नहीं जोडा गया है इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में अंकित किया है, इस प्रकार मौका रिपोर्ट के अनुसार भी न्यूनतम लंबाई का रास्ता, रास्ता नंबर–1 न होकर रास्ता नंबर–2 हैं जो खसरा नंबर 43 में दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि अपीलान्ट विवादित मामले में नियमानुसार तहसीलदार के समक्ष राशि जमा करवा चुका है एवं रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2022–23 (सप्ली.) पेज 521, आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 196 एच.सी. व आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 548 की नजीरे उद्धरत की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट हरिसिंह द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि ग्राम टिगरिया, पटवार हल्का गुराडिया ईसर की जमाबंदी संख्या 290 पुराना खाता संख्या 267 की खसरा नं. 33 रकबा 0.9865 हैक्टर आराजी का प्रार्थी खातेदार कृषक है। प्रार्थी के उक्त वर्णित आराजी में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी नम्बर 1 की जोत खसरा नं. 43 माफी रकबा 1.6440 हैक्टर के पश्चिम दिशा के मेड पर होकर है, जिसे प्रार्थी विस्तारित कर चौडा करना चाहता है। अप्रार्थी द्वारा जान बूझकर इस रास्ते को सकडा कर अवरूद्ध कर दिया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की जोत में आने जाने का 30 फीट चौडा मार्ग अप्रार्थी कम 1 की जोत खसरा नं. 43 की पश्चिमी दिशा के मेड पर होकर देने का आदेश फरमाया जावे एवं यह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित फरमायी जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग मौजूद है जो सबसे निकटतम है और कम लम्बाई का है, जो खसरा नं. 108 गैर मुमकिन रास्ता है। खसरा नं. 16/1 उर्मिला पुत्री तौफान सिंह के नाम है। खसरा नं. 15 जो आनन्द बाई पुत्री दुलेसिंह वगैराह, खसरा नं. 18 सम्पूर्ण नाकाबिल काश्त सिवायचक दर्ज है। खसरा नं. 14 जसवंत सिंह पुत्र देलसिंह दर्ज है तथा खसरा नं. 20 गैर मुमकिन रास्ता है। उक्त मार्ग से होकर प्रार्थी के आने जाने का यह सरल व सुगम मार्ग है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार गंगधार के पत्रांक 166 दिनांक 12.07.2024 से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने का मार्ग प्रचलन में नहीं है। मुताबिक रेकार्ड खसरा नं. 33 तक पहुंचने के दो मार्ग नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये हैं। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में रास्ता नं. 1 की कुल लम्बाई, चौडाई 3960 वर्ग फीट है एवं रास्ता नं. 2 की कुल लम्बाई, चौडाई 10060 वर्ग फीट है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2024 से वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार गंगधार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम टिगरिया के खसरा नं. 43 में से पश्चिमी मेड (खसरा नं. 42/21 व 35 से लगवा) के सहारे 267 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा रास्ता यानि 1068 वर्ग मीटर यानि 0.1068 हैक्टर रास्ता डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजस्व रेकार्ड में दर्ज सभी सहखातेदारों को दर्ज हिस्से अनुसार दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये, जिससे अप्रसन्न होकर अप्रार्थी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार गंगधार द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.07.2024 से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नवीन रास्ता कायम करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी। मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गयी उसमें हल्का पटवारी द्वारा इस तथ्य को छुपा लिया कि अपीलांट की आराजी खसरा नं. 43 जो कि खसरा नं. 42/1 के लगवा है, के मध्य बोरिंग लगा हुआ है तथा यदि उपरोक्त रास्ता चालू कर दिया गया तो अपीलांट का बोरिंग नष्ट हो जायेगा।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न पटवारी एवं आई.एल.आर. द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नया रास्ता कायम करने के प्रकरण में मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जानी चाहिए। यदि पक्षकार बाद सूचना अनुपस्थित रहे या मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करें तो इसका भी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख करते हुए मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम अपीलाधीन निर्णय को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2025 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वयं तहसीलदार गंगधार से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर प्राप्त करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.03.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा